9170/2018

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच

Rs. 500

NON JUDICIAL

विष्णु कुमार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 875854

6 NOV 2018

जय गोपीनाथ जी

किरायेनामा/पट्टा

किरायानामा 22 साल भू भाडा

12,000/–रूपये सालाना

देय स्टाम्प 3000/–रूपया

मालियत 72,000/–रूपया

हमकि विष्णु कुमार पुत्र स्व0 श्री भगवती प्रसाद निवासी– नगला देवकरन भाग हयातपुर तहसील महावन जिला मथुरा मो.नं.–8273390505 पट्टा दाता प्रथम पक्ष व **नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी–393/5 मुर्शिदपुर सदर बाजार तहसील व जिला मथुरा मो.नं. –9527939102** द्वितीय पक्ष पट्टा ग्रहीता इस लेख पत्र के है जो कि एक

विष्णु कुमार रावत

63

स्टाम्प विक्रय की तिथि 17/12/2018

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता

स्टाम्प की धनराशि

अनुज चौहान

लाईसेन्स नं0-[illegible]

अवधि [illegible] 20[illegible]

दीवानी परिसर, आगरा

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 875853

- 6 NOV 2018

(2)

किता प्लाट पैमाइशी 35 मीटर लम्बा व 35 मीटर चौडा कुल क्षेत्रफल 1225 वर्गमीटर(एक हजार दो सौ पच्चीस वर्गमीटर) जिसकी चारो तरफ से बाउण्ड्री बाल हो रही है, जिसकी सीमाएें पूरब–जगह विष्णु कुमार, पश्चिम–सड़क मथुरा से बल्देव, उत्तर–रास्ता 15 फीट, दक्षिण–जगह विष्णु कुमार, स्थित–आबादी खसरा संख्या–177 बॉके मौजा–मुबारकपुर बॉगर तहसील महावन जिला मथुरा जिसका प्रथम पक्ष ही मालिक है। उक्त प्लाट हर प्रकार के वार भार से पाक साफ है। जिसके हस्तान्तरण करने के समस्त अधिकार मुझ प्रथम पक्ष को प्राप्त है। अतः अपने अधिकार का प्रयोग करके लाभार्थ स्थाई आय हेतु उक्त प्लाट 22 साल के लिये किराये पर देना तय हुआ है किराये की निम्नलिखित शर्त हैः–

1–यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से उक्त प्लाट को 12,000/–रूपया प्रतिवर्ष किराये पर लिया है।

2–यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से उक्त किराया हर वर्ष के दिसम्बर माह में प्राप्त करेगा।

विष्णुकुमार राय

64

स्टाम्प विक्रय की तिथि... 11/12/18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता...
स्टाम्प की धनराशि...

अनुज चौहान
लाईसेन्स नं0-50
अवधि 31 मार्च 20..
दीवानी परिसर आगरा
...9005575.

पट्टा विलेख/कबूलियतनामा

प्रतिफल 72000 स्टाम्प शुल्क 3000 बाजारी मूल्य-0 पंजीकरण शुल्क-1440 प्रतिलिपिकरण शुल्क -60 योग -1500

श्री विष्णु कुमार

पुत्र श्री स्व० भगवती प्रसाद

व्यवसाय : अन्य

निवासी नगला देवकरन भाग हयातपुर तहसील महावन ज़िला मथुरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/12/2018 एव 04:39:01 PM बजे

निबंधन पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सिंह

उप निबन्धक महावन

मथुरा

19/12/2018

लव कुमार शर्मा

वरिष्ठ सहायक(निबंधन)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 008112

MUKESH KUMAR
DY. CASHIER
2 DEC 2018
TREASURY, AGRA

(3)

3–यह कि किरायेनामा प्रथम पक्ष ने किरायेदार द्वितीय पक्ष को आज से 22 साल की अबधि के हेतु वर्णित प्लाट को किराये पर दिया है और किरायेदार ने 22 साल की अबधि के लिये किराये पर लिया हैं।

4–यह कि उक्त प्लाट का किराया 12,000/–रूपये प्रति वर्ष तय पाया जाता है जिसको किरायेदार द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को बजरिये रसीद अदा करता रहेगा। अदम अदाय किराया 22 साल प्रथम पक्ष को किराया वसूल करने का अधिकार होगा।

5–यह कि कब्जा व दखल प्रथमपक्ष ने वर्णित प्लाट से अपना कब्जा हटाकर किरायेदार द्वितीय पक्ष का वास्तविक रूप से करा दिया है किरायेदार का वर्णित प्लाट पर कब्जा हो गया व निर्माण कराये नक्शा विकास प्राधिकरण स्वीकृत नव निर्माण कराये या अन्य सभी प्रकार से लाभान्वित हो।

बिष्णु कुमार रावत

65

स्टाम्प विक्रय की तिथि... 17/12/18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता
स्टाम्प की धनराशि

अनुज चौहान
लाईसेन्स नं0-60
दिवानी परिसर आगरा

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि प्रलेखनसार उक्त

पट्टादाता

श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री स्व० भगवती प्रसाद
निवासी नगला देवकरन भाग हयातपुर तहसील महावन
ज़िला मथुरा
व्यवसाय: अन्य
पट्टा ग्रहीता :1

श्री नागेंद्र सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह
निवासी 393/5 मुर्शिदपुर सदर बाज़ार मथुरा तहसील व
जिला मथुरा
व्यवसाय: अन्य
पट्टा ग्रहीता: 2

ने निष्पादन स्वीकार किया जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री सुभाष सोलंकी पुत्र श्री निरंजन सिंह
निवासी बुर्ज खंड नगौड़ा तहसील महावन जिला मथुरा
व्यवसाय : अन्य
पहचानकर्ता : 2

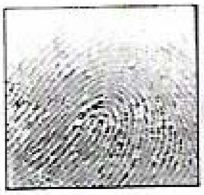

श्री श्याम शर्मा पुत्र गोपाल प्रसाद शर्मा
निवासी लोहवन तहसील महावन जिला मथुरा
व्यवसाय : अन्य

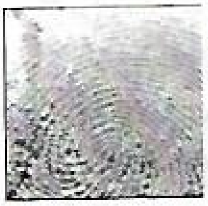

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की ! प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशानी अंगूठे नियमानुसार लिए गए है

राजेश कुमार सिंह
उप निबन्धक महावन
मथुरा
19/12/2018

लव कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक(निबंधन)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 008113

MUKESH KUMAR
DY. CASHIER
2 - DEC 2018
TREASURY, AGRA

6–यह कि किरायेदार द्वितीय पक्ष नल व बिजली का कनेक्शन ले टैक्स अदा करे इसमें प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का उजर न होगा।

7–यह कि किसी प्रकार के स्थानीय टैक्स अन्य टैक्स जो प्लाट पर होगें उनका द्वितीय पक्ष ही वहन करेगा।

8–यह कि उक्त प्लाट में साज–सज्जा रंग रोगन साफ, सफाई इत्यदि कार्य उक्त द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से ही करायेगा, एवं द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट को यथा स्थिति में वापस करेगा।

9–यह कि उक्त प्लाट की किरायेदारी आज की तारीख से 22 साल तक होगी।

पिंटू कुमार रावत

66

17/12/18

स्टाम्प विक्रय की तिथि.........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता.........

स्टाम्प की धनराशि.........

अनुज चौहान
लाईसेन्स नं0-...
अवधि 31 मार्च 20..
...नी परिसर आगरा
...

C S V

[illegible]

मेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 008114

MUKESH KUMAR
DY CASHIER
2 - DEC 2018
TREASURY, AGRA

(5)

10—यह कि 22 साल के किराये पर एक साल का किराया 12,000/—रूपये का छः गुना करके मालियत 72,000/—रूपया आती है जिस पर स्टाम्प 3000/—रूपया का दिया गया हैं

11—यह कि यदि द्वितीय पक्ष मुझ प्रथम पक्ष को किराया अदायगी में हर वर्ष देने में दिक्कत करता है तो ऐसी सूरत में , मैं प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर बेदखल कर सकता हूँ।

12—यह कि उक्त पट्टा किरायेनामा में कोई विधिक त्रुटि पायी जाती हैतो उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पक्षो की होगी।

13—यह कि किरायेदार द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर बी.पी.सी.एल. कम्पनी की पैट्रोल पम्प लगवा सकेगा व उसकी बावत जो भी आवश्यक निर्माण हो उसको किरायेदार द्वितीय पक्ष कराने को स्वतन्त्र होगा व ऋण ले सकेगा व शिकमी किरायेदारी पर भी उठा सकेगा।

67

स्टाम्प विक्रय की तिथि... 17/12/18

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता...

स्टाम्प की धनराशि...

अनुज चौहान
लाईसेन्स नं०-
अवधि 31 मार्च
दिवानी परिसर, आगरा
CSV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 0060

2 - DEC 2018

(6)

अतः यह किरायेनामा व राजीखुशी दोनो पक्षो ने अपनी स्वेच्छा से बिला किसी नशील वस्तु के सेवन किये व स्वस्थ मस्तिष्क से गवाहान के समक्ष लिख दिया कि सनद रहे औ समय पर काम आवे।

दिनांक–19.12.2018

ड्राफ्ट कर्ता : भगवत स्वरूप शर्मा एडवोकेट महावन,मथुरा

टाइप कर्ताः अजय कुमार लवानियाँ

गवाह–

1– सुभाष सोलंकी पुत्र निरंजन सिंह निवासी–बुर्ज खण्ड नगौडा तहसील महावन जिला मथु

मो.नं.–9719804516

2– श्याम शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा निवासी–गॉव लोहवन तहसील महावन जिला मथु

मो.नं.–9084714223

स्टाम्प विक्रय की तिथि 17/12/18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता
स्टाम्प की धनराशि

अनुज चौहान
लाईसेन्स नं0-60
अवधि 31 मार्च 20[illegible]
दिवानी परिसर आगरा
[illegible]-900555[illegible]

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 2872 के प्रष्ठ 231 से 242 तक
क्रमांक 9170 पर दिनांक 19/12/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सिंह
उप निबन्धक महावन
मथुरा
19/12/2018